

**बिहार सरकार**  
**पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग**

प्रेषक,

गीता सिंह, भा०प्र०से०,  
सरकार के अपर सचिव।

सेवा में,

महालेखाकार (ले० एवं हक०), बिहार,  
वीरचन्द पटेल पथ, पटना।

पटना-15, दिनांक-22/ 03/ 2025.

XX  
अनौपचारिक  
रूप से  
परामर्शित

द्वारा :- XX  
आन्तरिक वित्तीय सलाहकार।

विषय :- वित्तीय वर्ष 2024-25 में कुल रुपये 81.50 लाख (रुपये इक्यासी लाख पचास हजार) के अनुमानित लागत व्यय पर कॉम्फेड अंतर्गत विभिन्न दुग्ध समितियों में स्थापित बल्क मिल्क कूलरो एवं शीतकरण केन्द्रों के डिजीटलीकरण की योजना की स्वीकृति।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में निदेशानुसार कहना है कि राज्य सरकार ने सम्यक विचारोपरान्त वित्तीय वर्ष 2024-25 में कुल रुपये 81.50 लाख (रुपये इक्यासी लाख पचास हजार) के अनुमानित लागत व्यय पर कॉम्फेड अंतर्गत विभिन्न दुग्ध समितियों में स्थापित बल्क मिल्क कूलरो एवं शीतकरण केन्द्रों के डिजीटलीकरण की योजना की स्वीकृति प्रदान की गई है। योजना का विस्तृत व्यय विवरणी संलग्न।

- 2) दुग्ध समितियों से संकलित दूध को गाँवों में स्थापित बल्क मिल्क कूलरो, शीतकरण केन्द्रों में प्राप्त किया जाता है। सभी बल्क मिल्क कूलरो एवं शीतकरण केन्द्रों का डिजीटलीकरण कर उसके क्रियाकलापों को केन्द्रीयकृत कमांड सेन्टर जो कि कॉम्फेड मुख्यालय में स्थापित किया जाना है। साथ ही यह भी देखा जाना है कि दूध की गुणवत्ता उच्च स्तर की बनी रहे। इसमें प्रति केन्द्र औसतन रुपये 1.63 लाख का व्यय अनुमानित है।
- 3) इस योजना का मुख्य उद्देश्य बल्क मिल्क कूलर एवं शीतकरण केन्द्रों का डिजिटलाइजेशन करते हुए दूध की गुणवत्ता में सुधार किया जाना है एवं दूध के तापमान और अन्य मानकों को नियंत्रित किया जा सकता है।
- 4) इस योजना अन्तर्गत दुग्ध उत्पादकों के दूध की गुणवत्ता बनाये रखने हेतु बल्क मिल्क कूलर से दूध को शीघ्र शीतलीकरण किया जायेगा, जिससे दूध की गुणवत्ता अक्षुण्ण रखा जा सकता है। एक समिति में दूध की मात्रा कम हो जाने पर इसके द्वारा मिल्क रूट की अन्य समितियों से भी दूध प्राप्त किया जाता है। जाँच लागत

मूल्य में कमी आयेगी। फलस्वरूप उपभोक्ताओं को अच्छी गुणवत्ता का दूध उपलब्ध कराया जाना है।

- 5) कॉम्फेड द्वारा बल्क मिल्क कूलर एवं शीतकरण केन्द्रों का डिजिटलाइजेशन किया जाना है। जिसका भौतिक लक्ष्य 100 है।
- 6) इस योजना के तहत योजना का क्रियान्वयन कॉम्फेड, पटना द्वारा किया जायेगा।
- 7) इस योजना के तहत स्वीकृत राशि की निकासी निदेशक, गव्य अथवा उनके द्वारा प्राधिकृत पदाधिकारी होंगे। निदेशक, गव्य इसके सर्वोच्च नियंत्री पदाधिकारी होंगे।
- 8) इस योजना अंतर्गत कॉम्फेड, पटना को राशि का भुगतान सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना से निकासी कर एकमुस्त कॉम्फेड, पटना के पी०एल० खाता में किया जायेगा।
- 9) इस योजना अंतर्गत स्वीकृत राशि की निकासी कर निदेशक, गव्य द्वारा कॉम्फेड, पटना के पी०एल० खाता में हस्तान्तरित किया जायेगा एवं स्वीकृत राशि पी०एल० खाता के माध्यम से कॉम्फेड, पटना द्वारा व्यय किया जायेगा।
- 10) सामान्य योजना अन्तर्गत मुख्य शीर्ष-2404 -डेरी विकास, उप मुख्य शीर्ष-00, लघु शीर्ष-102 -डेरी विकास परियोजनाएँ, उप शीर्ष-0115 -गव्य प्रक्षेत्र की योजनाएँ, विषय शीर्ष-0115.31.05 -सहायक अनुदान परिसम्पत्तियों के निर्माण, विपत्र कोड 02-2404001020115 के तहत योजना उद्व्यय एवं तृतीय अनुपूरक आगणन के माध्यम से प्राप्त बजट उपबंधित राशि अन्तर्गत रुपये 81.50 लाख मात्र की राशि का व्यय किया जायेगा।
- 11) निदेशक, गव्य का यह भी दायित्व होगा कि वित्त विभागीय संकल्प-573, दिनांक-16.01.1975 एवं एम०-04-15/2009-9736 वि०-2, दिनांक-19.10.2011 के अनुसार सहायक अनुदान की राशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र राज्यादेश निर्गत होने की तिथि से 18 माह के अन्दर विभाग एवं महालेखाकार (ले० एवं हक०) बिहार, पटना के कार्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जायेगा तथा व्यय को स्वीकृत राशि के अन्तर्गत सीमित रखा जायेगा।
- 12) चूँकि यह स्कीम एक चालू स्कीम है। स्कीम का लागत मूल्य 5.00 करोड़ से कम है। इसलिए वित्त विभागीय संकल्प संख्या-12888, दिनांक-03.12.2024 में सन्निहित प्रावधान के आलोक में प्रस्ताव एवं राज्यादेश प्रारूप में अपर मुख्य सचिव का अनुमोदन प्राप्त है। संचिका सं०-6 एस०एस०(6)14/2017 के पृष्ठ-37/टि०, दिनांक-21.03.2025.
- 13) राज्यादेश प्रारूप में आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति प्राप्त है। संचिका संख्या-6 एस०एस०(6)14/2017 के पृष्ठ-37/टि०, डायरी संख्या-120, दिनांक-21.03.2025.

- 14) वित्त विभागीय पत्रांक-7355, दिनांक-05.10.2007 में सन्निहित प्रावधान के आलोक में योजना में स्वीकृत राशि की निकासी हेतु महालेखाकार, बिहार, पटना से प्राधिकार-पत्र की आवश्यकता नहीं होगी।

विश्वासभाजन

(गीता सिंह)

सरकार के अपर सचिव

ज्ञापांक-6 एस०एस०(6)14/2017- 1384 /पटना-15,दिनांक- 22/03/2025.

प्रतिलिपि:- अनुलग्नक सहित वित्त विभाग (योजना शाखा/बजट शाखा)/योजना एवं विकास विभाग/आंतरिक वित्तीय सलाहकार, पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के अपर सचिव

ज्ञापांक-6 एस०एस०(6)14/2017- 1384 /पटना-15,दिनांक- 22/03/2025.

प्रतिलिपि:- अनुलग्नक की प्रति के साथ सभी कोषागार पदाधिकारी, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के अपर सचिव

ज्ञापांक-6 एस०एस०(6)14/2017- 1384 /पटना-15,दिनांक- 22/03/2025.

प्रतिलिपि:- अनुलग्नक की प्रति के साथ सभी जिला गव्य विकास पदाधिकारी/प्रबंध निदेशक, कॉम्पेड, पटना/निदेशक, गव्य बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के अपर सचिव

ज्ञापांक-6 एस०एस०(6)14/2017- 1384 /पटना-15,दिनांक- 22/03/2025.

प्रतिलिपि:- अनुलग्नक की प्रति के साथ गव्य निदेशालय, बिहार, पटना के बजट शाखा/योजना शाखा/ लेखा शाखा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के अपर सचिव

ज्ञापांक-6 एस०एस०(6)14/2017- 1384 /पटना-15,दिनांक- 22/03/2025.

प्रतिलिपि:- अनुलग्नक की प्रति के साथ विभाग के सभी पदाधिकारी/योजना शाखा के कार्यवाह सहायक को अतिरिक्त पाँच प्रतियों के साथ/महालेखापरीक्षा, महालेखाकार, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के अपर सचिव

ज्ञापांक-6 एस०एस०(6)14/2017- 1384/पटना-15,दिनांक- 22/03/2025.

प्रतिलिपि:- अनुलग्नक की प्रति के साथ विभागीय अपर मुख्य सचिव के आप्त सचिव/विभागीय मंत्री के आप्त सचिव, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के अपर सचिव

ज्ञापांक-6 एस०एस०(6)14/2017- 1384/पटना-15,दिनांक- 22/03/2025.

प्रतिलिपि :- अनुलग्नक की प्रति के साथ विभागीय आई०टी० मैनेजर, को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के अपर सचिव

## व्यय विवरणी

राज्य स्कीम के तहत वित्तीय वर्ष 2024-25 में कुल ₹ 81.50 लाख (रूपये इक्कासी लाख पचास हजार) मात्र के अनुमानित व्यय पर कॉम्पेड अंतर्गत विभिन्न दुग्ध समितियों में स्थापित बल्क मिल्क कूलरों एवं शीतकरण केन्द्रों के डिजीटलीकरण की योजना।

(राशि रुपये लाख में)

| क्र०   | विपत्र कोड/विषय शीर्ष                                                                  | योजना की विवरणी                                                                                                                  | भौतिक लक्ष्य | कुल लागत | निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी का नाम         | कोषागार                           |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------|-------------------------------------------|-----------------------------------|
| 1      | विपत्र कोड 02-2404001020115, विषय शीर्ष 31-05 -सहायक अनुदान परिसम्पत्तियों के निर्माण। | विभिन्न दुग्ध समितियों में स्थापित बल्क मिल्क कूलरों एवं शीतकरण केन्द्रों के डिजीटलीकरण ₹ 0.815 लाख प्रति इकाई/केन्द्र की दर से। | 100          | 81.50    | निदेशक, गव्य विकास निदेशालय, बिहार, पटना। | सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना। |
| योग :- |                                                                                        |                                                                                                                                  |              | 81.50    |                                           |                                   |

कुल रुपये (इक्कासी लाख पचास हजार) मात्र।

1384  
22/03/25

सरकार के अपर सचिव

*[Signature]*  
25